न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 45/2022 जिला दौसा

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2022/149

1. गंगासहाय पुत्र मंगलराम
2. ओमप्रकाश पुत्र रामसहाय
3. मन्नी पुत्री रामपाल
4. सूरा उर्फ हीरा पुत्री रामपाल
5. ओमप्रकाश पुत्र मांग्या
6. कैलाश पुत्र मांग्या
7. काली देवी पत्नी मांग्या
8. राजू उर्फ राजेन्द्र पुत्र मांग्या
   समस्त जाति बैरवा निवासी आलूदा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा। राजस्थान।
9. कल्याण सहाय पुत्र रामकिशन
10. लक्ष्मण पुत्र रामकिशन
11. लछमा पत्नी कल्लू
    समस्त जाति मीना निवासी आलूदा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. सुन्दरी देवी पत्नी महादेव
2. गंगा देवी पत्नी मूल्या
   जाति मीना निवासी आलूदा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा जिला दौसा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बसवा जिला दौसा।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 23.05.2018 बअदालत उपखण्ड अधिकारी, नांगल राजावतान जिला दौसा।

उपस्थित–

1. श्री सतीश पारीक वकील अपीलान्ट
2. श्री जी.एल.मीना वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से
3. श्री शम्भूदयाल वकील रेस्पोडेन्ट नं. 2 की ओर से
4. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 3 की ओर से

निर्णय

दिनांक —26.09.2023

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी नांगलराजावतान जिला दौसा के निर्णय दिनांक 23.05.2018 के खिलाफ प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा 5 व प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा के समक्ष प्रार्थना पत्र 128 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत कर ग्राम आलूदा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा में स्थित भूमि खसरा नं. 1743 रकबा 1.07 है0 व खसरा नं. 1744 रकबा 1.16 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.23 है0 की सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढी किये जाने हेतु निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.05.2018 को प्रार्थी का

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

आवेदन स्वीकार कर तहसीलदार नांगल राजावतान जिला दौसा को उक्त खसरा नम्बरों की सीमाज्ञान कर पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया गया।

3. उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 23.05.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट श्री गंगासहाय पुत्र मंगलराम वगै0 द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 व प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा दिनांक 23.05.2018 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम आलूदा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा में स्थित उक्त विवादित भूमि खसरा नं. खसरा नं. 1743 रकबा 1.07 है0 व खसरा नं. 1744 रकबा 1.16 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.23 है0 के अपीलांट पडौसी खातेदार व काश्तकार हैं जिनकी भूमि खसरा नं. 1745, 1748/1, 1745/2, 1750 होने से आवश्यक पक्षकार थे। रेस्पोडेण्ट नं 1 व 2 द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 128 प्रस्तुत कर प्रार्थीगण व पडौसी खोतेदारान को पक्षकार बनाये बिना ही उक्त खसरा नम्बरों के कैम्प कोर्ट थूमडी में पत्थरगढी के आदेश करवा लिये। समीपस्थ खातेदार होने के बावजूद भी रेस्पोडेण्ट ने अपीलाण्ट को पक्षकार नहीं बनाया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नही किया गया है एवं बिना जॉच, सुनवाई एवं सबूत अवसर दिए बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा दिनांक 23.05.2018 निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि उक्त विवादित भूमि का पूर्व में दिनांक 26.06.2017 को सीमाज्ञान किया जा चुका है। अपीलांट द्वारा पडौसी खातेदारान् से सीमा विवाद होने के कारण प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि का विधिवत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सीमाज्ञान के समय पत्थरगढी किये जाने हेतु आवेदन किया गया था। अपीलांट का उक्त भूमि से कोई लेना–देना नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने रिकॉर्ड अनुसार खातेदारी की जॉच व मौके पर कब्जे की जॉच पश्चात् ही तहसीलदार नांगल राजावतान को प्रार्थीगण के उक्त खसरा नम्बर की सीमाज्ञान कर पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया गया। फिर भी अपीलांट ने बेदखल करने एवं सींव को खुर्द बुर्द करने की नियत से श्रीमान के समक्ष मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की है ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. राजकीय अधिवक्ता ने भी बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड के अवलोकन पश्चात् ही पत्थरगढी करने के आदेश दिये गये हैं जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अपीलांट को जारी नकल दिनांक 06.06.2022 को प्राप्त होना बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि 1743 रकबा 1.07 है0 व खसरा नं. 1744 रकबा 1.16 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.23 है0 की पत्थरगढी करवाने हेतु आवेदन किए जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 23.05.2018 के द्वारा तहसीलदार नांगल राजावतान जिला दौसा को उक्त खसरा नम्बरों की सीमाज्ञान कर पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया गया। इस न्यायालय में अपीलांट गंगासहाय पुत्र मंगलराम ने कथन किया है कि उक्त विवादित भूमि के पडौसी खसरा नं. 1745, 1748/1, 1745/2, 1750 होने से आवश्यक पक्षकार थे। मौका पर्चा सीमाज्ञान रिपोर्ट में भी ख.नं. 1743 एवं 1744 की चारों सीमाओं के चारों और अन्य खातेदारों की तरफ दबी हुई पायी गयी है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि अपीलांट एवं रेस्पोडेण्ट के खेतों की सीमाएँ लगती हुई हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर विधिवत् पत्थरगढी करने का आदेश दिये जाने चाहिए थे। ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा का निर्णय दिनांक 23.05.2018 निरस्त किया जाता है। तथा अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षों को सुनकर गुण–दोष के आधार पर पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/9/23

(असलम शेर खान)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर